निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 389) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
3 मार्च 2021

lŒ 5 u0fo0@xBu&25@2020&933/u0fo0,ovk0fo0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गोपालगंज जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत मीरगंज का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–4369 दिनांक–26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् के रूप में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :–

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् मीरगंज	सलेमपट्टी–1022 महैचा–1059 राजापुर–1019 नरैनीया–1018 पीपराखास–1024	महैचा, सवरेजी एवं बरबांकपरपुरा (सभी आंशिक भाग)	उत्तर–बंकीखाल–1023 दक्षिण–सवरेजी–1016 पूरब–बदरजीमी (दाहा नदी)–1060 पश्चिम–बरबांकपरपुरा–1020	42713

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद् मीरगंज कहा जायेगा।

3. एतद् द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 523 दिनांक 10.02.2021 निरस्त किया जाता है।

3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
vjfoUn dqekj >k]
ljdkj ds la;qDr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 389-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in